

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

**फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.**—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की घोषणा या प्राधिकृत करने के मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2009, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की घोषणा या प्राधिकृत करने के मार्गदर्शी सिद्धांत) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये मरकामी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की घोषणा या प्राधिकृत करने के मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम 2009, के विनियम 11 में, उप-विनियम (ख) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(ख) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 273(अ) दिनांक 21/04/2009 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2015

**F. No. L-MISC/VII/2007.**—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2009, namely:—

**1. Short title and commencement.**

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Natural Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2009, for sub-clause (b), the following shall be substituted, namely:—

“(b) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ ADVT. III/4/Exty./188/14 ]